कोविड-19 और परिवहन कर्मचारियों के लिए स्वच्छता सुविधाओं की पहुँच एवं उपलब्धता

ट्रेड यूनियन के वार्ताकारों हेतु मार्गदर्शिका

कार्य-स्थल पर साफ-सुथरी व सुरक्षित सुविधाएँ और ज़रूरी तौर पर कार्य दिवस या कार्य समय के दौरान आवश्यकतानुसार उनका उपयोग कर पाना वास्तव में एक वैश्विक समस्या है। सभी ट्रांसपोर्ट कर्मचारी और खासकर महिला ट्रांसपोर्ट कर्मचारी के लिए यह एक बड़ी समस्या है। कोविड-19 के प्रकोप के मौजूदा समय में यह और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

कर्मचारियों और व्यापक रूप से जन-समुदाय के बीच कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम हेतु प्रभावी रूप से साफ-सफाई की व्यवस्था करना व इससे जुड़े अन्य कदम उठाना परिवहन कर्मचारी, यूनियंस, नियोक्ताओं और सरकारों के लिए बेहद आवश्यक हो गया है। अधिकांश देशों में लॉकडाउन लागू किये जाने के मद्देनज़र, परिवहन कर्मचारियों के लिए पैदा हुए जोखिमों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- चालक (ड्राइवर्स) लंबे समय तक सड़कों पर रहते हैं और उनके लिए शौचालय व साफ-सफाई, धुलाई आदि जैसी सुविधाओं का अभाव होता है;
- दूसरे देशों में फँसे होने पर महिला नाविकों (सीफेरर्स) को सैनिटरी प्रोडक्ट्स की कमी का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि उन्हें कहीं आने-जाने की आजादी भी न हो;
- सार्वजनिक परिवहन कर्मचारियों को लंबे शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है और उन्हें वायरस का सबसे अधिक खतरा होता है। यही नहीं, उनके लिए साफ-सफाई की सुविधाएँ या तो उपलब्ध ही नहीं होतीं या फिर सीमित रूप से उपलब्ध होती हैं। रेस्टॉरेंट्स और कैफे के बंद रहने के चलते उनकी परेशानियाँ और अधिक बढ़ जातीं है;
- गोदाम एवं वितरण केंद्रों (वेयरहाउस और डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर्स) के मालिकों ने बहुत देर बाद रोकथाम और स्वच्छता के उपाय जैसे सोशल-डिस्टेंसिंग का पालन शुरू किया। ऐसा भी संभव है कि मांग बढ़ने के चलते, इन जगहों में काम और काम करने वालों की संख्या बढ़ जाये।

विश्व शौचालय दिवस 2019 के अवसर पर शुरू किये गये आईटीएफ ट्रांसपोर्ट वर्कर्स सैनिटेशन चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार, आईटीएफ ने कोविड-19 के संदर्भ में नियोक्ताओं और सरकारों द्वारा उठाये जाने वाले कदमों और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर कुछ प्रमुख क्षेत्रों को चिह्नित किया है।

नियोक्ता (इम्प्लॉयर) - तत्काल एवं आवश्यक निम्नलिखित कदम:

- कोविड-19 से निपटने के लिए जोखिम आकलन, स्पष्ट नीतियों, प्रक्रियाओं और योजनाओं को विकसित करने और लागू करने में व्यापार संघ (ट्रेड यूनियन)प्रतिनिधियों (दोनों महिलाओं और पुरुषों) के साथ परामर्श करना, विशेष रूप से कार्यस्थल स्वच्छता और धोने के प्रावधान, सफाई, रखरखाव, पहुंच और उपलब्धता के संबंध में सलाह देना। यह प्रक्रिया समावेशी होनी चाहिए और इसमें परिवहन कर्मचारियों (महिला और पुरुष दोनों) की विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे गर्भावस्था, विकलांगता, रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज) और पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- COVID-19 के बारे में कर्मचारियों के लिए जानकारी, निर्देश और प्रशिक्षण प्रदान करना, स्वच्छता और अन्य रोक-थाम के उपाय जो संयुक्त रूप से पहचाने गए हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग ।
- सभी कर्मचारियों को नवीनतम संपर्क जानकारी उपलब्ध हो जिस पर वो बिना किसी डर, हँसी उड़ाये जाने की शंका या फिर सार्वजनिक किये जाने के भय से मुक्त होकर रिपोर्ट कर सकें।
- मोबाइल वर्कर्स जैसे कि चालक आदि के लिए यात्रा मार्गों की समीक्षा और योजना बनाते समय मार्ग में उपलब्ध शौचालय और साफ-सफाई, नहाने-धोने की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाये, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब ट्रांसपोर्ट वर्कर्स द्वारा अक्सर उपयोग किये जाने वाले अधिकांश सार्वजनिक स्थान बंद कर दिये गये हैं।
- आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन्स) से बात करके, कलेक्शन या डिलीवरी के लिए उनके परिसरों (प्रिमाइसेज) में जाने वाले मोबाइल वर्कर्स के लिए शौचालय और साफ-सफाई की सुविधाओं का उपयोग मुहैया कराने करने हेतु सहयोग देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना और इसे लागू करवाना।
- कर्मचारियों के लिए उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) की आपूर्ति करना, उनकी पहचान करना और उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराना।
- कर्मचारियों को उनके कार्य समय/शेड्युल के दौरान उचित रूप से खाली समय एवं मौके देना, ताकि वे शौचालय सुविधाओं का उपयोग कर सकें और इसके लिए उनकी पगार से न तो कोई कटौती हो और न ही अन्य दंड लगाया जाये।

सरकार - तत्काल एवं आवश्यक निम्नलिखित कदम:

- श्रमिक संघ और नियोक्ता संगठनों के परामर्श से कार्यस्थलों पर कोविड-19 से बचाव हेतु स्पष्ट नियम, नीतियाँ व दिशानिर्देश तैयार करना, और इस बात पर विशेष ध्यान देना कि वर्कर्स को उनके कार्य-समय के दौरान ज़रूरत पड़ने पर शौचालय सुविधाएँ पर्याप्त रूप से उपलब्ध हों।
- कोविड-19 सार्वजनिक और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सलाहकार समिति में महिलाओं और पुरुषों को शामिल किया जाना।
- कानून, नीतियों और दिशानिर्देशों के साथ लिंग- उदार दृष्टिकोण को समावेश होना जिसमें विशिष्ठ रूप से कर्मचारियों की स्वच्छता और कार्यस्थल पर स्वच्छता और धुलाई सुविधाओं को शामिल करना।
- यह सुनिश्चित करना कि इस तरह के नियम, नीतियों व दिशानिर्देशों में श्रृंखलाबद्ध जिम्मेवारियों के प्रावधान हों (और लागू किये जायें), ताकि परिवहन अर्थव्यवस्था में महिलाओं व पुरुषों के लिए विशेष तौर पर सैनिटरी एवं स्वच्छता और धुलाई की सुविधाओं के लिए ग्राहकों और उपठेकेदार कंपनियों की जिम्मेवारी तय हो सके।
- आईएलओ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संघठन जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के उचित दिशानिर्देशों और श्रम मानकों को लागू करना और बढ़ावा देना और इन्हें वर्तमान संकट पर लागू करना।

ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स के निवेशक - तत्काल एवं आवश्यक निम्नलिखित कदम:

- इस संकट की स्थिति में लागू किये जा रहे ऋण कार्यक्रम और परियोजनाओं में पानी और पर्याप्त स्वच्छता के अधिकारों को शामिल किया जाना।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन के दौरान वर्कर्स के लिए साफ़-सफाई और स्वच्छता की उपयुक्त सुविधाएँ उपलब्ध हों, सुविधाएँ सुलभ व सुगम्य हों, और कर्मचारियों के पास काम के दौरान इन सुविधाओं के उपयोग के लिए पर्याप्त समय हो।

संदर्भ जानकारी:

आईटीएफ ट्रांसपोर्ट वर्कर्स सैनिटेशन चार्टर

आईएलओ स्टैंडर्ड्स एंड कोविड-19 (अंग्रेज़ी, फ्रेंच और स्पेनिश में उपलब्ध)

विश्व स्वास्थ्य संगठन - COVID-19 के लिए जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य-रक्षा और कचरा प्रबंधन

परिवहन कार्यस्थल स्वच्छता और साफ-सफाई की जांच-सूची

यह सूची संपूर्ण नहीं है, और वाहनों सहित परिवहन कार्यस्थलों में अच्छी साफ-सफाई को प्रोत्साहन देने हेतु नीतियाँ तैयार करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

शौचालय

- ☑ एक समय में शौचालय का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या सीमित रखें
- ☑ प्रसाधनों का उपयोग करने से पहले और बाद हाथों की धुलाई को बढ़ावा दें
- ☑ शौचालय के प्रसाधनों विशेषकर दरवाजे के हैंडल्स, लॉक्स, और टॉयलेट फ्लश को सामान्य से अधिक बार साफ करें
- ☑ हाथ के तौलियों के लिए उपयुक्त और पर्याप्त मात्रा में कचरा पेटी उपलब्ध कराएँ और नियमित रूप से उन्हें हटाने व उनके निपटारा हेतु सुरक्षित व्यवस्था करें
- ☑ रास्ते में पड़ने वाली इमारतों व उन व्यवसायों के बारे में जानकारी प्रदान करें, जहाँ सार्वजनिक प्रसाधन व्यवस्था उपलब्ध हो तथा बंद न हो

हाथ धोना

- ☑ साबुन और ताजा पानी पहले से उपलब्ध होना चाहिए और ये हर समय पर्याप्त मात्रा में भरा रखा जाना चाहिए
- ☑ जहाँ हाथ धोने की सुविधाएँ उपलब्ध न हों, वहाँ हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था कर
- ☑ हाथ धोने के प्रसाधनों की नियमित रूप से सफाई करें और साबुन व सैनिटाइजर के स्तर की जांच करें (और जरूरत अनुसार भरें)
- ☑ हाथ की तौलियों के लिए उपयुक्त और पर्याप्त कचरा पेटी की व्यवस्था करें और कचरा पेटियों की नियमित रूप से सुरक्षित तरीके से खाली किये जानी की व्यवस्था हो
- ☑ साबुन, हैंड सैनिटाइजर और पेपर टॉवेल्स की अतिरिक्त आपूर्ति रहनी चाहिए, जिसका संचयन सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए
- ☑ दिशानिर्देशों को साफ-साफ प्रदर्शित करें कि वर्कर्स कहाँ से साबुन, और साफ पानी या हैंड सैनिटाइजर ले सकते ह

वाहन सहित कार्यस्थल

- ☑ साफ-सफाई की विशेष जगहों को चिह्नित करें और कार्यस्थल पर समय सारणी एवं पद्धति अनुसार अधिक साफ-सफाई सुनिश्चित करें
- ☑ वाहनों और अन्य कार्य उपकरणों को अंदर और बाहर से नियमित रूप से साफ व सैनिटाइज करें। कर्मचारी और यात्रियों द्वारा अधिक प्रयोग की जाने वाली जगहों, सतहों और अलग-अलग ऑपरेटर्स द्वारा चलाये जाने वाले वाहनों (कैब सहित) की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।